संख्या-12012/1/98-स्थापना(छुट्टी)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 10 , 2002

कार्यालय-ज्ञापन

विषय:- रेलवे को छोड़कर अन्य विभागों के औद्योगिक कर्मचारियों को 15 दिन की पितृत्व छुट्टी की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में सरकार का निर्णय ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत-सरकार कुछ समय से रेल विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में कार्यरत औद्योगिक कर्मचारियों को पितृत्व छुट्टी की सुविधा प्रदान किए जाने पर विचार कर रही है और सामाजिक परिस्थितियों के मौजूदा परिदृश्य में पितृत्व छुट्टी के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इस विभाग द्वारा उपर्युक्त विषय पर ग़ैर औद्योगिक कर्मचारियों के संबंध में जारी दिनांक 07.10.97 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-13018/1/97-स्थापना(छुट्टी) और तदनंतर दिनांक 16.07.99 के अन्य कार्यालय-ज्ञापन संख्या-13018/2/98-स्थापना(छुट्टी) के अनुदेशों के समान ही पुरूष औद्योगिक कर्मचारी को अपनी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चे के जन्म के लिए अर्थात् बच्चे के जन्म से 15 दिन पूर्व तक अथवा जन्म की तारीख़ से छः माह की अवधि तक 15 दिन की पितृत्व छुट्टी प्रदान की जाए ।

ये आदेश, रक्षा-मंत्रालय में कार्यरत औद्योगिक कर्मचारियों पर भी लागू होंगे ।

ये आदेश जारी होने की तारीख़ से प्रभावी होंगे ।

प्रवीण कुमार सिंह

(पी.के. सिंह)

भारत-सरकार के उप सचिव

सेवा में,

भारत-सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।